(20)

संख्या- 474 /26-ब0प्र0-2012-01(एससीपी)/2012

21/11 02

प्रेषक,

धर्मराज सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊः दिनांकः 2 । नवम्बर, 2012

विषयः- वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1770/10/छः/विविध/एस0सी0एस0पी0/12-13, दिनांक 08.10.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद महराजगंज की विभिन्न अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना के कार्यान्वयन हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि में निम्नांकित तालिका में अंकित धनराशि, जिसका कुल योग रू0 2,24,47,000/- (रू0 दो करोड़ चौबीस लाख सैंतालिस हजार मात्र) है, को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबनधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रमांक	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती का नाम	स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में
1	2	3	4	5
1	महराजगंज	न0पा0प0-महराजगंज	वार्ड नं0-4 मु0-बैकुण्ठपुर	37.59
			वार्ड नं0-4 मु0-राजीव नगर	37.88
			वार्ड नं0-4 मु0-सुभाष नगर	37.39
			वार्ड नं0-4 मु0-आजाद नगर	37.30
			वार्ड नं0-4 मु0-शास्त्री नगर	36.42
			वार्ड नं0-4 मु0-विस्मिल नगर	37.89
	योग			224.47

1- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2- उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेगें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही, समय से पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके ।

3- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से यथा समय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4- उक्त अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है, किसी प्रकार का व्यायावर्तन अनुमन्य नही होगा ।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी ।

6- उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

............2/-

Acct (मांगें)
21/11/12

7- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ।

8- इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी ।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2013 तक व्यय हो सके।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-मूलभूत नगरीय सुविधायें एवं आवास-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) " के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1340/दस-2012 दिनांक 12.11.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(धर्मराज सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या- 474(1)/26-ब0प्र0-2012-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, 20 सरोजनीनायडू मार्ग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- निदेशक , स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3- सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0 प्र0, शासन ।
4- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महराजगंज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
8- सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(धर्मराज सिंह)
अनु सचिव ।